आओ रोकें बाल विवाह

न्याय सब के लिए
ACCESS TO JUSTICE FOR ALL

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

E-mail: rj-slsa@nic.in, rslsajp@gmail.com

बच्चों को पढ़ाने की लो राह,
बंद करो ये बाल विवाह

घोषणा

इस पुस्तिका का प्रकाशन बाल विवाह संबंधी तथ्यों व बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 व राजस्थान बाल विवाह प्रतिषेध नियम, 2007 के विधिक प्रावधानों की जानकारी सरल भाषा में आम जनता तक पहुंचाने हेतु किया गया है।

परिचय

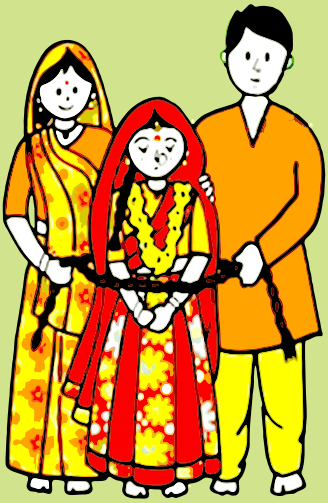

बाल विवाह सामाजिक समस्याओं में से एक है जो भारत को महिला अधिकारों के क्षेत्र में पीछे रखता है और अनेकों समस्याओं जैसे बढ़ती जन्मदर, गरीबी, कुपोषण, निरक्षरता, कम जीवन प्रत्याक्षा, शिशु मृत्युदर को जन्म देता है।

भारत देश जो कि विश्व में एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, वहीं दूसरी ओर यहां सामाजिक बुराईयों का एक स्याहा पक्ष भी है जो ''उभरते भारत'' (Rising India) की छवि के बिल्कुल विपरीत है। हमारे देश में विद्यमान सामाजिक बुराईयों में से एक बुराई बाल विवाह है जो 21वीं सदी में भी पूर्ण जोर शोर से जारी है। संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार भारत बाल विवाहों के मामलों में विश्व में दूसरे स्थान पर है।

भारतीय विधि के अनुसार, बाल विवाह वह है जिसमें लड़की की आयु 18 वर्ष से कम और लड़के की आयु 21 वर्ष से कम हो। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय क्षेत्रों से अधिक बाल विवाह होते हैं। हमारे देश में बाल विवाह की रोकथाम के लिए कानून बनाया गया है, जिसमें शादी की आयु सीमा भी तय कर दी गई है लेकिन परिणय सूत्र में बंधने वाले बालकों के लिए आज भी यह बेमानी है। देश में बाल विवाह आज भी जारी है। भारत में लगभग

सभी जाति, सम्प्रदायों में बाल विवाह का प्रचलन है। खासतौर से राजस्थान में आख़ातीज़ पर बाल विवाह धड़ल्ले से होते हैं।

चतुर्थ राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की वर्ष 2015–2016 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में 20.3 प्रतिशत शहरी, 40.5 प्रतिशत ग्रामीण व कुल 35.4 प्रतिशत 20 से 24 वर्ष की महिलाओं का विवाह 18 वर्ष से कम आयु में हो गया था। इसी प्रकार सर्वे में यह भी पाया गया कि 4.5 प्रतिशत शहरी, 6.9 प्रतिशत ग्रामीण व कुल 6.3 प्रतिशत महिलाएं 15 से 19 वर्ष की आयु से पहले ही माँ बन चुकी थी या गर्भवती थीं।

कठोर कानून व नीतियों के बावजूद आज भी राजस्थान में बाल विवाह का प्रचलन है। आखातीज, गणेश चतुर्थी, पीपल पूर्णिमा और फुलेरा दोज आदि बाल विवाहों के लिए अबूझ मुहुर्त माने जाते हैं।

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006

विभिन्न कानूनों और अधिनियमों में बाल विवाह को रोकने के प्रावधान किये गये हैं। सर्वप्रथम 1929 में बाल विवाह पर रोक संबंधी कानून ''शारदा एक्ट'' बनाया गया। शारदा एक्ट के अनुसार नाबालिग लड़के और लड़कियों का विवाह करने पर जुर्माना और सजा हो सकती है। इसके पश्चात सन् 1949, 1978, और 2006 में इसमें संशोधन किए गए। वर्तमान में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 लागू है।

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम – 2006 के महत्वपूर्ण प्रावधान

- बाल विवाह के बालक पक्षकार के विकल्प पर शून्य है।
- विवाह के बालिका पक्षकार के भरण पोषण और निवास के संबंध में प्रावधान।
- बाल विवाह के परिणामस्वरूप जन्मी संतान के अभिरक्षा और भरण–पोषण के संबंध में प्रावधान।
- बाल विवाह से जन्मी संतान वैध है।
- व्यस्क पुरूष के द्वारा नाबालिग महिला के साथ विवाह करने पर दण्ड का प्रावधान।
- बाल विवाह करने पर दण्ड का प्रावधान।

- बाल विवाह को बढावा देने अथवा अनुमति देने पर दण्ड का प्रावधान।
- न्यायालय को विवाह रोकने के लिए व्यादेश जारी करने की शक्ति।
- अपराध संज्ञेय व अजमानतीय।
- बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी।

अधिनियम किन पर लागू है?

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 भारत के सभी नागरिकों पर लागू है। इसका विस्तार पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र के रेनोसाओं को छोड़कर संपूर्ण भारत पर है।[1]

बालक कौन है?

बालक से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी आयु यदि पुरूष है तो 21 वर्ष से कम व यदि नारी है तो 18 वर्ष से कम है।[2]

बाल विवाह क्या है?

बाल विवाह से ऐसा विवाह अभिप्रेत है जिसमें विवाह के दोनों पक्षकार अथवा कोई एक बालक है अर्थात जिसकी आयु यदि पुरूष है तो 21 वर्ष से कम व नारी है तो 18 वर्ष से कम है।[3]

क्या बाल विवाह शून्यकरणीय है?

जी हां। प्रत्येक बाल विवाह, बाल विवाह के पक्षकार जो ऐसे विवाह के समय बालक था के विकल्प पर शून्यकरणीय है। बालक पक्षकार विवाह को शून्य घोषित करवाने के लिए जिला न्यायालय में अर्जी प्रस्तुत कर सकता है।

न्यायालय, विवाह को शून्य घोषित करने की डिक्री के साथ साथ विवाह के समय दिये गये धन, मूल्यवान वस्तुएं, उपहार और आभूषण या उनके बराबर धन लौटाने का आदेश भी कर सकता है।[4]

भरण पोषण के लिए क्या प्रावधान है?

न्यायालय, बाल विवाह के बंधन में आने वाली बालिका को विवाह के पुरूष पक्षकार से या उसके नाबालिग होने की स्थिति में उसके माता–पिता या संरक्षक से पुनर्विवाह होने तक, भरण–पोषण देने का आदेश दे सकता है।[5]

बाल विवाह से जन्मे बालक की अभिरक्षा और भरण–पोषण के लिए क्या प्रावधान है?

न्यायालय, बाल विवाह से जन्मे बालक की अभिरक्षा और भरण–पोषण के लिए बालक के कल्याण और हितों को ध्यान में रखते हुए समुचित आदेश कर सकता है।[6]

1. बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 की धारा –1
2. बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 की धारा –2 (क)
3. बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 की धारा –2 (ख)
4. बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 की धारा –3
5. बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 की धारा –4
6. बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 की धारा –5

दाण्डिक प्रावधान

- जो कोई, अठारह वर्ष से अधिक आयु का पुरूष वयस्क होते हुए, बाल–विवाह करेगा, वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक लाख रूपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा।[7]
- जो कोई किसी बाल–विवाह को सम्पन्न करता है, संचालित करता है, या दुष्प्रेरित करेगा, या ऐसे विवाह का संवर्धन करने के लिए कोई कार्य करता है या उसका अनुष्ठापित किया जाना अनुमत करता है या उसका अनुष्ठान किए जाने से निवारण करने में उपेक्षापूर्वक असफल रहता है, तो वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने से भी, जो एक लाख रूपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।[8]

अपराध संज्ञेय व अजमानतीय

इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय और अजमानतीय है।

प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट/महानगर मजिस्ट्रेट की भूमिका

- प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट/महानगर मजिस्ट्रेट, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के आवेदन या किसी व्यक्ति के परिवाद या अन्यथा सूचना मिलने पर कि बाल विवाह तय किया गया है, तो ऐसे विवाह को रोकने के लिए निषेधाज्ञा जारी कर सकता है।
- यदि कोई व्यक्ति न्यायालय द्वारा जारी निषेधाज्ञा का उल्लंघन करता है तो वह 2 वर्ष तक के कारावास अथवा जुर्माना जो 1 लाख रूपये तक का हो सकेगा, से अथवा दोनों दण्डनीय होगा।[9]

न्यायालय का क्षेत्राधिकार

धारा 3, 4, 5 के अधीन कोई अनुतोष प्राप्त करने के लिए जिला न्यायालय जिसके क्षेत्राधिकार में प्रतिवादी या बालक रहता है या विवाह सम्पन्न हुआ है या प्रार्थी वर्तमान में रह रहा है या बाल विवाह के पक्षकार अंतिम बार साथ रहे हैं में कार्यवाही की जा सकती है।[10]

निषेधाज्ञा के उल्लघंन में यदि कोई बाल विवाह किया जाता है तो वह प्रारम्भ से ही व्यर्थ व शून्य होगा।

7. बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 की धारा 9
8. बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 की धारा 10 व 11
9. बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 की धारा 13
10. बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 की धारा 8

बाल–विवाह प्रतिषेध अधिकारी

राजस्थान सरकार के द्वारा संपूर्ण राज्य के लिए उप निदेशक, महिला अधिकारिता, उप निदेशक ICDS, सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, संरक्षण अधिकारी, महिला अधिकारिता, बाल विकास परियोजना अधिकारी, ICDS, सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल अधिकारिता विभाग, ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को महिला एवं बाल विकास विभाग के आदेश दिनांक 15.02.2021 द्वारा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अन्तर्गत बाल–विवाह प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त किया गया है।

बाल–विवाह प्रतिषेध अधिकारी का कर्त्तव्य

- बाल विवाह रोकथाम हेतु कदम उठाना
- बाल विवाह आयोजन की शिकायत/सूचना मिलने पर ऐसे विवाह को तुरन्त रोकने के लिए उचित कार्यवाही करना।
- विवाह पंजीकरण रिकॉर्ड का समय–समय पर निरीक्षण करना।
- बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के उल्लंघन की दशा में अधिनियम की धारा 4, 5, एवं 13 के अनुसार कार्यवाही करना।
- बाल विवाह नहीं करने और बाल विवाह के संभावित परिणामों के बारे में लोगो को संवेदनशील बनाना और उनमें जागरूकता लाना।
- जिला मजिस्ट्रेट का बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की पालना में की गई कार्यवाही की सूचना निर्धारित प्रारूप में प्रत्येक त्रैमास के पहले सप्ताह में देना।[11]

जिला स्तर पर कलेक्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में अक्षय तृतीया पर बाल विवाहों पर कार्यवाही करने के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाते है।

11. बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 की धारा –16 व राजस्थान बाल विवाह प्रतिषेध नियम, 2007 का नियम – 5

समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का पूर्ण पता

क्र. सं.	जिले का नाम	पूर्ण पता
1	अजमेर	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ए.डी.आर सेन्टर, संयोगिता नगर अजमेर 305001 ☎:0145–2943811, मोबाईल नं. 9358865706, हेल्पलाइन नम्बर 8306002101, Email : dlsa1ajmer@gmail.com
2	अलवर	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अलवर, न्यायालय परिसर, अलवर, राजस्थान–301001 ☎:– 0144–2940098, हेल्पलाइन नम्बर :– 8306002102 Email: dlsa2alwar@gmail.com
3	बालोत्तरा	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर, बालोतरा– 344022 ☎ : 02988–294119, हेल्पलाइन नं.: 8306002103, Email – dlsa3balotra@gmail.com
4	बांरा	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ए.डी.आर. भवन, जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर, बारां 325205 ☎ : 07453–294186, हेल्पलाइनः–. 8306002105, Email- dlsa5baran@gmail.com
5	बांसवाडा	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, (वैकल्पिक विवाद निस्तारण केन्द्र) माही कॉलोनी, बासंवाडा ☎ : 02962–294488, हेल्पलाइन नं. 8306002104, Email : dlsa4banswara@gmail.com
6	भरतपुर	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय परिसर, बिजली घर चौराहा, भरतपुर ☎ : 05644–228870, हेल्पलाइन नं.: 8306002106, Email: dlsa6bhartpur@gmail.com
7	भीलवाड़ा	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला एवं सैशन न्यायालय परिसर, भीलवाड़ा–311001 ☎ 01482–294713, हेल्पलाइन नम्बर 8306002107, Email- dlsa7bhilwara@gmail.com
8	बीकानेर	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, न्यायालय परिसर के सामने, सदर थाना रोड़, बीकानेर ☎ : 0151–2970623, हेल्पलाइन नं: 8306002108, Email: dlsa8bikaner@gmail.com
9	बूंदी	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय परिसर, बून्दी (राज.) ☎ : 0747–2940061, हेल्पलाइन नं.: 8306002109, Email: dlsa9bundi@gmail.com
10	चूरू	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिविल लाईन, कृषि विभाग के पास, चूरू (राज.) –331001 ☎ : 01562–294594, हेल्पलाइनः 8306002110, Email: dlsa11churu@gmail.com
11	चित्तौडगढ़	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर, निम्बाहेडा रोड, चित्तौडगढ़ ☎ : 01472–294210, हेल्पलाइनः 8306002112, Email: dlsa10chittorgarh@gmail.com
12	दौसा	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, एडीआर सेन्टर, जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर, दौसा 303303 ☎ : 01427–294224, हेल्पलाइनः 8306002114, Email: dlsa12 dausa@gmail.com
13	धौलपुर	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, (जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर) धौलपुर–328001 ☎ : 05642–294300, हेल्पलाइनः 8306002115, Email: dlsa13dholpur@gmail.com
14	डूंगरपुर	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय परिसर, डूंगरपुर –314001 ☎ : 02964–294822, हेल्पलाइन नं. : 8306002116, Email : dlsa14dungarpur@gmail.com
15	गंगानगर	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिविल लाईन, श्रीगंगानगर 335001 ☎ : 0154–2944888, हेल्पलाइन नं.: 8306002117, Email: dlsa15ganganagar@gmail.com
16	हनुमानगढ़	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय परिसर, हनुमानगढ़ ☎ : 01552–294199, हेल्पलाइन नं. : 8306002118, Email: dlsa16hanumangarh@gmail.com
17	जयपुर महानगर प्रथम	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, न्यू कोर्ट बिल्डिंग, जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर महानगर प्रथम 302016, ☎ :0141–2947150, हेल्पलाइन नंबर–8306002119 Email: dlsa17jaipurmetro@gmail.com
18	जयपुर महानगर द्वितीय	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कमरा नंबर 626, षष्ठम तल, न्यू कोर्ट बिल्डिंग, जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर, जयपुर महानगर द्वितीय 302016 ☎ : 0141–2947155, हेल्पलाइन नं: 8306008220 Email: dlsa17jaipurmetro2@gmail.com
19	जयपुर जिला	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला एवं सैशन न्यायालय, बनीपार्क जयपुर जिला ☎ : 0141–2203090, हे. नं.: 8306002120, Email: dlsa18jaipurdistrict@gmail.com

क्र. सं.	जिले का नाम	पूर्ण पता
20	जैसलमेर	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सम रोड़, जैसलमेर ☎ : 02292–294676 हेल्पलाइन नं.: 8306002123, Email: dlsa19jaiselmer@ gmail.com
21	जालोर	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर, जालोर ☎ : 02973–294337 हेल्पलाईन नं.: 8306002126, Email : dlsa20jalore@gmail.com
22	झालावाड़	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, (वैकल्पिक विवाद निस्तारण केन्द्र), झालावाड़ (326001) ☎ : 07432–294065, हेल्पलाइन नं.: 8306002127, Email: dlsa21jhalawar@gmail.com
23	झुंझुनूं	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कार्यालय के सामने, झुंझुनूं (333001) ☎ : 01592–294040 हेल्पलाइन नं.: 8306002128, Email : dlsa22jhunjhunu@gmail.com
24	जोधपुर मेट्रो	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला एवं सैशन न्यायालय परिसर, जोधपुर महानगर ☎ : 0291–2943480, हैल्पलाइन नं.: 8306002021, Email: dlsa23jodhpurmetro@gmail.com
25	जोधपुर जिला	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पुराना राजस्थान उच्च न्यायालय भवन, जोधपुर – 342006 ☎ : 0291–2943451, हेल्पलाइनः 8306002129, Email: dlsa24jodhpurdistrict@gmail.com
26	कोटा	कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर, कोटा–324001 ☎ : 0744–2940015, हेल्पलाइन नं : 8306002131, Email : dlsa26kota@gmail.com
27	करौली	कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर, करौली ☎ : 07464–294026, हेल्पलाइन नं.: 8306002130, Email : dlsa25 karauli@ gmail.com
28	मेड़ता सिटी	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला एवं सैशन न्यायालय परिसर, मेडता सिटी (नागौर) – 341510 ☎ : 01590–294039, हेल्पलाइन नं.: 8306002132, Email: dlsa27merta@gmail.com
29	पाली	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर, पाली 306401 ☎ : 02932–294035, हेल्पलाइन नं. : 8306002166, Email: dlsa28pali@gmail.com
30	प्रतापगढ़	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, (जिला एवं सेशन न्यायालय के सामने) प्रतापगढ़ (राज.) 312605 ☎ : 01478–294161, हेल्पलाइन : 8306002134, Email: dlsa29pratapgarh@gmail.com
31	राजसमंद	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला एवं सैशन न्यायालय परिसर, कलेक्ट्रट रोड़ राजसमंद ☎ : 02952–294498, हेल्पलाइन नं.: 8306002135, Email: dlsa30rajsmand@gmail.com
32	सवाईमाधोपुर	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ए.डी.आर. सेन्टर, जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर, सवाई माधोपुर ☎ : 07462–294301, हेल्पलाइन नं.: 8306002136, Email: dlsa31sawaimadhopur@gmail.com
33	सीकर	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर, सीकर – 332001 ☎ : 01572–294048, हेल्पलाइन नं.: 8306002137, Email: dlsa32sikar@gmail.com
34	सिरोही	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय परिसर, सिरोही–307001 ☎ : 02972–294034, हेल्पलाइन नं.: 8306002138, Email : dlsa33sirohi@gmail.com
35	टोंक	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, वैकल्पिक विवाद निस्तारण केन्द्र, न्यायालय परिसर, टोंक–304001 ☎ : 01432–294603, हेल्पलाइन नं. : 8306002139, Email: dlsa34tonk@gmail.com
36	उदयपुर	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, न्यायालय परिसर, कोर्ट चौराहा, उदयपुर – 313001 ☎ : 0294–2940382, हेल्पलाइन नं.: 8306002022, Email: dlsa35udaipur@gmail.com

रिवाज़ों के नाम पर इन्हें यूँ ना बांधों,
बाल विवाह अभिशाप है, नन्हों पर ये बोझ ना डालों।

विधिक सेवा संस्थाएँ

राज्य स्तर पर

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर

राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जोधपुर एवं जयपुर

जिला स्तर पर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(जिला एवं सैशन न्यायाधीश कार्यालय)

तालुका स्तर पर

तालुका विधिक सेवा समिति (तालुका के वरिष्ठतम न्यायिक अधिकारी का कार्यालय)

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें –

न्याय सब के लिए
ACCESS TO JUSTICE FOR ALL

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

E-mail: rj-slsa@nic.in, rslsajp@gmail.com

हेल्प लाइन नम्बर : 15100, 9928900900 | वेबसाईट : www.rlsa.gov.in

फॉलो करें : rslsa.rajasthan @LegIAidRajsthan legalaidrajasthan